झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–45 वर्ष 2017

बिनोद राम, पे0–स्वर्गीय कॉलेश्वर राम, निवासी ग्राम–संकुल, डाकघर एवं थाना–पतरातु, जिला–रामगढ़ .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य, अपने मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, परियोजना भवन, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, जिला–रांची के माध्यम से

2. उपायुक्त, रामगढ़, डाकघर, थाना एवं जिला–रामगढ़

3. अपर समाहर्ता, रामगढ़, डाकघर, थाना एवं जिला–रामगढ़

4. जिला नजारत उप–समाहर्ता, रामगढ़, डाकघर, थाना एवं जिला–रामगढ

5. अंचलाधिकारी, पतरातू, डाकघर एवं थाना–पतरातू, जिला–रामगढ़

.... उत्तरदातागण

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री अजीत कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाता–राज्य के लिए :– श्री श्रीनू गरपति, एस0सी0–III

06 / 04.11.2020 श्री अजीत कुमार, याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता और श्री श्रीनू गरपति, प्रतिवादी–राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

' कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस रिट याचिका पर सुनवाई की गई है। किसी भी पक्ष ने ऑडियो–वीडियो के किसी भी

तकनीकी खराबी के बारे में शिकायत नहीं की है और उनकी सहमति से इस मामले को योग्यता के आधार पर सुना गया है।

याचिकाकर्त्ता ने स्वीपर पद पर अपनी सेवा को नियमित करने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश देने के लिए इस रिट याचिका को दायर किया है।

याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता कहा कि याचिकाकर्त्ता अनुसूचित जाति का सदस्य है और वह 2010 से प्रतिवादी संख्या 5 के साथ दैनिक मजदूरी पर स्वीपर के पद पर लगातार काम कर रहा है। वह आगे कहता है कि पत्र संख्या 217 दिनांक 26.02.2013 द्वारा अंचलाधिकारी, पतरातू, जिला–रामगढ़ द्वारा याचिकाकर्त्ता को अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उन्होनें यह भी कहा कि याचिकाकर्त्ता ने अभ्यावेदन भी दायर किया है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री श्रीनू गरपति, प्रतिवादी–राज्य के विद्वान अधिवक्ता, संदर्भित अनुबंध–2 के माध्यम से निवेदन करते हैं कि अंचलाधिकारी, पतरातू, जिला–रामगढ़ ने खुद कहा है कि याचिकाकर्त्ता 2014 से काम कर रहा है और नियुक्ति के लिए कोई अनुमोदन नहीं है और याचिकाकर्त्ता को भुगतान भी नहीं किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्त्ता ने बहुत निचले पद पर काम किया है, मामले के गुण–दोष में प्रवेश किए बिना, याचिकाकर्त्ता को प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष एक नया अभ्यावेदन दायर करने के लिए निर्देशित किया जाता है, जो नियमों, विनियमों और दिशा–निर्देशों के अनुसार निर्णय

लेंगे और उसके बाद आठ सप्ताह की अवधि के भीतर उचित युक्तियुक्त आदेश पारित करेंगे।

उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(संजय कुमार द्विवेदी, न्याया0)